रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-जी.जे.-अ.-21102024-258097 CG-GJ-E-21102024-258097

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 824] No. 824] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 17, 2024/आश्विन 25, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2024/ASVINA 25, 1946

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 14 अक्टूबर 2024

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2024

फा. सं. आईएफएससीए/जीएन/2024/010.— अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और 13 के साथ धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ: -
 - (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा;
 - (2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. विनियमन 4 के उप-विनियम (2) में 'इन विनियमों की प्रथम अनुसूची में यथा निर्दिष्ट तथा इस तरीके से' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

6769 GI/2024 (1)

- 3. विनियम 7 के उप-विनियम (1) में 'आवेदक को इन विनियमों की चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रासंगिक प्रपत्र' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा और इनके स्थान पर "ऐसा प्रपत्र जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा" शब्द संनिविष्ट किए जाएंगे।
- 4. विनियम 10 के दूसरे परंतुक के रूप में निम्नलिखित परंतुक को शामिल किया जाए -
 - "इसके अलावा, यह भी कि आवेदन करते समय, आवेदक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 5 के उप-विनियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट श्रेणी का वह विकल्प चुनेगा, जिसके अधीन वह डीटीए से निकलने वाले पुनर्बीमा व्यवसाय में भाग लेने का इरादा रखता है।"
- 5. इन विनियमों की पहली अनुसूची में प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख़, प्रपत्र-ग और प्रपत्र-घ का लोप कर दिया जाएगा।
- 6. इन विनियमों की चौथी अनुसूची में प्रपत्र क और प्रपत्र ख़ का लोप कर दिया जाएगा।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./593/2024-25]

नोट: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 को भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/ आरईजी016 द्वारा 18 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित किया गया और इन विनियमों में पहला संशोधन भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन / आरईजी 019 द्वारा 05 जनवरी 2022 को प्रकाशित किया गया।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION

Gandhinagar, the 14th October 2024

International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2024

- **F. No. IFSCA/GN/2024/010.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with Section 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following Regulations to amend the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021 namely:-
- 1. Short title and commencement: -
 - (1) These Regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2024;
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In sub-regulation (2) of regulation 4 words 'as specified at FIRST SCHEDULE of these Regulations and in the manner' shall be omitted.
- 3. In sub-regulation (1) of regulation 7 words 'the relevant FORM as specified at FOURTH SCHEDULE of these Regulations to the applicant' shall be omitted and replaced with "such FORM as may be specified by the Authority"

- 4. The following proviso may be inserted as the second proviso of regulation 10
 - "Provided further that at the time of making the application, the applicant shall opt for category as specified in clause (A) of sub-regulation (2) of Regulation 5 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) Regulations, 2018, under which it intends to participate in reinsurance business emanating from the DTA"
- 5. FORM-A, FORM-B, FORM-C and FORM-D in FIRST SCHEDULE of these regulations shall be omitted.
- 6. FORM A and FORM B in FOURTH SCHEDULE of these regulations shall be omitted.

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./593/2024-25]

Note: The International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2021-22/GN/REG016 on 18th October, 2021 and first amendment to these regulations were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2021-22/GN/REG019 on 05th January 2022.